

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

श्यामपुर भटहॉ थाना कांड संख्या-13/2021

दिनांक-25.01.2021

काराधीन अभियुक्त-1. नीरज चौधरी, जिन्हें श्यामपुर भटहॉ थाना कांड संख्या-13/2021 अन्तर्गत धारा- 30(ए) एवं 37(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0-22.01.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक पर लगाया गया अभियोग सरासर झूठा एवं बनावटी है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दि0-22.01.2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दि0-21.01.2021 को सूचक पु0अ0नि0 श्याम नारायण प्रसाद, सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समकालीन अभियान में संध्या गस्ती के दौरान ग्राम डुमरी पहुँचा तो गुप्त सूचना मिली कि नीरज चौधरी, पे0 महेश चौधरी, सा0-डुमरी कस्टसरी अपने घर पर चुलाई शराब बेच रहा है और लोगों को पीला रहा है। उक्त सूचना के आधार पर संबंधित स्थान पर पहुँचा तो पुलिस की गाड़ी को देखकर एक व्यक्ति हाथ में एक बोतल लिये भागने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया तथा नाम पता पुछने पर अपना नाम नीरज चौधरी बताया तथा हाथ में लिये हरा रंग के बोतल का तालाशी एवं ढक्कन खोलकर सूँघा तो 02 लीटर देशी चुलाई शराब का गंध आया, पुछने पर बताया कि देशी चुलाई शराब है जो बेचने के लिए रखा है, उसके मुँह से शराब की गंध आ रहा था जिसे ब्रेथ ऐनालाईजर मशीन से जाँच करने पर जाँच रिपोर्ट 18.3 एम0जी0/100 पाया गया। उसके बाद डुमरी प्रखंड कार्यालय के पास पहुँचा तो पुनः सूचना मिली कि डुमरी कटसरी बाजार के पास दो व्यक्ति शराब पीकर आपस में नशे की हालत में झगड़ा झंझट एवं हल्ला हंगामा कर रहा है जिसके आधार पर संबंधित स्थान पर पहुँचा तो दो व्यक्ति आपस में झगड़ा झंझट एवं हल्ला कर रहे हैं जिसे छापामारी पार्टी के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा नाम पता पुछने पर अपना-अपना नाम 1.समी अख्तर, 2.बाबूलाल साह बताया। उक्त व्यक्तियों को बारी-बारी से ब्रेथ ऐनालाईजर मशीन से जाँच करने पर समी अख्तर का जाँच रिपोर्ट 29.9 एम0जी0/100 एवं बाबूलाल साह का जाँच रिपोर्ट 550.0 एम0जी0/100 पाया गया। सभी को चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट में भी शराब सेवन की पुष्टि की गई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं तथा प्रस्तुत वाद में दि0-22.01.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में हैं। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के पास 02 लीटर देशी चुलाई शराब बरामदगी तथा अल्कोहल का सेवन करने का अभियोग है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्तगण के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त-1. नीरज चौधरी, के द्वारा मो0-10,000/- (दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे अनुसंधान/विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत



अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।

दिनांक-25.01.2021